2027329/2024/PQ CELL

संसद प्रश्न और उनके उत्तर

अंतरिम बजट सत्र, 2024

2027329/2024/PQ CELL

अंतरिम बजट सत्र 2024

क्र.सं.	लो.स./ रा.स.	तारीख	स्वीकृत प्रश्न संख्या	अनंतिम प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ सं.
1	लो.स.	05.02.2024	तारांकित *26	तारांकित 411	ईपीएफओ बोर्ड का पुनर्गठन	3
2	लो.स.	05.02.2024	355	1054	ईपीएफ पेंशन में वृद्धि	5
3	लो.स.	05.02.2024	433	691	ओडिशा राज्य को वित्तीय सहायता	6
4	रा.स.	08.02.2024	726	S19, S61, U33, U73	ईपीएफ पेंशन योजना में न्यूनतम पेंशन बढ़ाना	12
5	रा.स.	08.02.2024	732	S1375	आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना	13
6	रा.स.	08.02.2024	753	U1282	औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन	14

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 26

सोमवार, 05 फरवरी, 2024 / 16 माघ, 1945 (शक)

ईपीएफओ बोर्ड का पुनर्गठन

***26. डॉ. जी. रणजीत रेड्डी:**
डॉ. पोन गौतम सिगामणि:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) बोर्ड का पुनर्गठन किया है;

(ख) क्या इसमें भारतीय मजदूर संघ के तीन सदस्य और हिन्द मजदूर सभा, सीआईटीयू, ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर, सेल्फ-एंप्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन और नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स से केवल एक-एक सदस्य है;

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के बोर्ड में एआईटीयूसी (एटक) और आईएनटीयूसी (इंटक) का प्रतिनिधित्व न होने के क्या कारण हैं जो कर्मचारियों के प्रतिनिधि हैं;

(घ) क्या सरकार का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के बोर्ड में एआईटीयूसी (एटक) और आईएनटीयूसी (इंटक) के सदस्यों की नियुक्ति करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(श्री भूपेंद्र यादव)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*

*****

"ईपीएफओ बोर्ड का पुनर्गठन" के संबंध में डॉ. जी. रणजीत रेड्डी और डॉ. पोन गौतम सिगामणि, माननीय सांसदों द्वारा दिनांक 05.02.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 26 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ङ): कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ और एमपी) अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने दिनांक 12.01.2024 की अधिसूचना संख्या का.आ. 156 (अ) के माध्यम से केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) का गठन किया है।

ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 की धारा 5क(1)(ङ) में सीबीटी, ईपीएफ में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकतम 10 व्यक्तियों को नियुक्त करने का प्रावधान है। नव गठित सीबीटी, ईपीएफ में भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) से 3 व्यक्तियों तथा हिन्द मजदूर सभा (एचएमएस), भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र (सीआईटीयू), ट्रेड यूनियन समन्वय केंद्र (टीयूसीसी), स्वनियोजित महिला संघ (एसईडब्ल्यूए) और नैशनल फ्रन्ट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियनस (एनएफआईटीयू) से एक-एक व्यक्ति को मनोनीत किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस (आईएनटीयूसी) के प्रतिनिधियों के लिए दो स्लॉट रिक्त रखे गए हैं। आईएनटीयूसी के दलों के बीच लंबित न्यायालयी मामलों को ध्यान में रखते हुए नवगठित सीबीटी, ईपीएफ में आईएनटीयूसी के प्रतिनिधियों का मनोनयन नहीं किया गया है।

*****

2027329/2024/PQ CELL

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 355

सोमवार, 05 फरवरी, 2024/16 माघ, 1945 (शक)

ईपीएफ पेंशन में वृद्धि

355. श्री ए.गणेशमूर्ति:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ईपीएफ पेंशन की न्यूनतम राशि में वृद्धि के लिए श्रमिक संगठनों, जन प्रतिनिधियों जैसे हितधारकों से मांग प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/ किए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार पेंशन गणना सूत्र को संशोधित करेगी क्योंकि वर्तमान सूत्र ईपीएफ-95 योजना के तहत पेंशनभोगियों के खिलाफ मनमाना और पक्षपातपूर्ण है; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1000 रुपये प्रति माह से बढ़ाने के लिए श्रमिक संघों और जन प्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995, एक 'परिभाषित अंशदान-परिभाषित लाभ' सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन निधि का कोष (i) नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33 प्रतिशत की दर से अंशदान; और (ii) 15,000/- रुपये प्रति माह तक के वेतन के 1.16 प्रतिशत की दर से केंद्र सरकार बजटीय सहायता के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा अंशदान से बना है। योजना के तहत सभी लाभों का भुगतान इस प्रकार की संचित राशि से किया जाता है। ईपीएस, 1995 के पैरा 32 के तहत यथा अधिदेशित निधि का मूल्यांकन वार्षिक आधार पर किया जाता है और दिनांक 31.03.2019 के निधि के मूल्यांकन की स्थिति के अनुसार, बीमांकिक घाटा हुआ है।

योजना के तहत सदस्य की पेंशन की राशि का निर्धारण सेवा की पेंशन योग्य अवधि और पेंशन योग्य वेतन को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित सूत्र के अनुसार किया जाता है:

$$\frac{\text{पेंशन योग्य सेवा} \times \text{पेंशन योग्य वेतन}}{70}$$

तथापि, सरकार ने पहली बार, वर्ष 2014 में बजटीय सहायता प्रदान करके ईपीएस, 1995 के तहत पेंशनभोगियों को प्रति माह 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन प्रदान की, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को ईपीएस के लिए वार्षिक रूप से प्रदान की जाने वाली वेतन के 1.16% की बजटीय सहायता के अतिरिक्त थी।

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 433

सोमवार, 05 फरवरी, 2024 / 16 माघ, 1945 (शक)

ओडिशा राज्य को वित्तीय सहायता

433. श्री बसंत कुमार पंडा

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत नौ वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कालाहांडी और नुआपाड़ा जिलों सहित ओडिशा राज्य सरकार को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का योजना-वार और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है और यदि राज्य तथा जिला वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं है, तो सम्पूर्ण भारत को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत नौ वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान ओडिशा और उक्त जिलों में कितने लोग लाभान्वित हुए;

(ग) विगत नौ वर्षों के दौरान ओडिशा और उक्त जिलों में डीबीटी के माध्यम से लाभान्वित व्यक्तियों का योजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) कोरोना महामारी के दौरान ओडिशा को दिहाड़ी मजदूरों हेतु कितनी अतिरिक्त वित्तीय सहायता और अन्य सहायता प्रदान की गई?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): श्रम और रोजगार मंत्रालय की सभी योजनाएं केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएं हैं। हालांकि, ओडिशा राज्य सरकार को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा तथा पिछले नौ वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान ओडिशा में लाभार्थियों की संख्या का योजना-वार ब्यौरा अनुबंध-**I** में दिया गया है।

(ग): ओडिशा में पिछले नौ वर्षों के दौरान डीबीटी से लाभान्वित लाभार्थियों का ब्यौरा अनुबंध-**II** में दिया गया है।

(घ): भारत सरकार ने व्यापार को प्रोत्साहन प्रदान करने तथा कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज के अंतर्गत सरकार ने सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किया है। इस पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

**

*****

अनुबंध-I

"ओडिशा राज्य को वित्तीय सहायता" के संबंध में श्री बसंत कुमार पंडा द्वारा दिनांक 05.02.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 433 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस): कालाहांडी और नुआपाड़ा जिलों सहित पिछले नौ वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान ओडिशा राज्य को जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(लाख रु. में)

2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
28.54	**36.82**	**280.67**	**50.00**	**11.92**	**84.61**	**0.00**	**9.51**	**174.50**	**3.32***

*दिनांक 30.01.2024 की स्थिति के अनुसार

पिछले नौ वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कालाहांडी और नुआपाड़ा जिलों सहित ओडिशा में लाभार्थियों की संख्या निम्नानुसार है:

नौकरी खोजने वाले

वर्ष	ओडिशा	कालाहांडी	नुआपाड़ा
2014-2015	-	-	-
2015-2016	16,149	104	23
2016-2017	13,538	161	56
2017-2018	41,742	241	140
2018-2019	22,198	425	112
2019-2020	59,647	424	313
2020-2021	70,035	1,046	511
2021-2022	1,49,066	6,542	1,554
2022-2023	1,02,992	4,046	1,025
2023-2024 (दिनांक 28.01.2024 तक)	1,37,731	5,072	2,301
कुल	**6,13,098**	**18,061**	**6,035**

2027329/2024/PQ CELL

नियोक्ता

वर्ष	ओडिशा	कालाहांडी	नुआपाड़ा
2014-2015	-	-	-
2015-2016	8	-	-
2016-2017	6	-	-
2017-2018	20	-	-
2018-2019	29	-	-
2019-2020	1,193	15	2
2020-2021	1,324	1	2
2021-2022	827	1	1
2022-2023	20,928	553	176
2023-2024 (दिनांक 28.01.2024 तक)	29,563	854	213
कुल	**53,898**	**1,424**	**394**

स्वतंत्र परामर्शदाता

वर्ष	ओडिशा	कालाहांडी	नुआपाड़ा
2014-2015	-	-	-
2015-2016	16	-	-
2016-2017	14	-	-
2017-2018	16	1	-
2018-2019	42	2	-
2019-2020	34	-	-
2020-2021	64	3	2
2021-2022	693	20	9
2022-2023	94	2	2
2023-2024 (दिनांक 28.01.2024 तक)	60	3	1
कुल	**1,033**	**31**	**14**

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई): चूंकि एबीआरआई एक अखिल भारतीय योजना है, इसलिए, किसी भी राज्य सरकार को सीधे कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है। दिनांक **19.01.2024** तक ओडिशा में लाभ की राशि और लाभार्थियों की संख्या निम्नानुसार है:

लाभ की राशि (रु.)	**लाभार्थी प्रतिष्ठानों की संख्या**	**लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या**
201,55,76,407/-	**4,195**	**89,357**

स्रोत: ईपीएफओ

प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई): दिनांक 31.03.2022 तक ओडिशा में वितरित सब्सिडी की राशि और लाभार्थियों की संख्या इस प्रकार है:

पीएमआरपीवाई के अधीन वितरित सब्सिडी	**लाभान्वित प्रतिष्ठान**	**लाभान्वित लाभार्थी**
124,54,96,959/-	**3,003**	**1,42,341**

बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना: यह एक मांग आधारित योजना है जिसमें संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्हें निधियां प्रदान की जाती हैं। पिछले नौ वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ओडिशा राज्य सरकार को उनसे प्राप्त मांग के अनुसार प्रदान की गई निधियों और लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	**प्रदान की गई धनराशि (लाख रुपये में)**	**लाभार्थियों की संख्या (मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों की संख्या)**
2014-15	0	0
2015-16	0	0
2016-17	25.80	258
2017-18	74.20	742
2018-19	0	0
2019-20	0	0
2020-21	0	0
2021-22	0	0
2022-23	0	0
2023-24 (दिनांक 30.01.2024 तक)	0	0
कुल	**100.00**	**1,000**

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी): ओडिशा राज्य में पिछले **10** वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत बचाए गए/कार्य से हटाए गए, पुनर्वासित किए गए और मुख्य धारा में लाए गए बच्चों की संख्या निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	लाभार्थियों की संख्या
2013-14	6,114
2014-15	21,315
2015-16	1,900
2016-17	0
2017-18	0
2018-19	0
2019-20	6
2020-21	495
2021-22	76
2022-23	1,415
कुल	**31,321**

अनुबंध-II

"ओडिशा राज्य को वित्तीय सहायता" के संबंध में श्री बसंत कुमार पंडा द्वारा दिनांक 05.02.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 433 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र (एनसीएससी) : यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसके तहत राज्य वित्त पोषण उपलब्ध नहीं है। कालाहांडी और नुआपाड़ा जिलों सहित ओडिशा में पिछले नौ वर्षों के दौरान डीबीटी के माध्यम से लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय-वर्ष	**कुल**
2015-16	210
2016-17	210
2017-18	210
2018-19	210
2019-20	110
2020-21	185
2021-22	0
2022-23	475
2023-24 (28.01.2024 तक)	245
कुल	**1,855**

कालाहांडी और नुआपाड़ा में डीबीटी के माध्यम से लाभान्वित:

जिले का नाम	**प्रशिक्षुओं की संख्या**	**वित्तीय-वर्ष**	**योजना**
कालाहांडी	40	2018-19	"ओ" लेवल सॉफ्टवेयर
नुआपाड़ा	शून्य	शून्य	शून्य

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 726

गुरूवार, 8 फरवरी, 2024/19 माघ, 1945 (शक)

ईपीएफ पेंशन योजना में न्यूनतम पेंशन बढ़ाना

726. श्री वाइको:
श्री एम. शनमुगम:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन में न्यूनतम वृद्धि करने के लिए मजदूर संघों, जन प्रतिनिधियों जैसे हितधारकों से मांगें प्राप्त हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो हितधारकों की संक्षेप में मांगें क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार जीवनयापन लागत सूचकांक में वृद्धि और वेतन में बढ़ोतरी के मद्देनजर ईपीएफ अंशदाताओं के लिए न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी पर सकारात्मक रूप से विचार करेगी;

(ङ) यदि हां, तो इसकी घोषणा कब तक की जा सकती है;

(च) क्या पेंशन गणना फार्मूले को संशोधित किया जाएगा क्योंकि वर्तमान फार्मूला मनमाना और पेंशनभोगियों के प्रति पक्षपातपूर्ण है; और

(छ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (छ): कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1000 रुपये प्रति माह से बढ़ाने के लिए श्रमिक संघों और जन प्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995, एक 'परिभाषित अंशदान-परिभाषित लाभ' सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन निधि का कोष (i) नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33 प्रतिशत की दर से अंशदान; और (ii) 15,000/- रुपये प्रति माह तक के वेतन के 1.16 प्रतिशत की दर से केंद्र सरकार की बजटीय सहायता के माध्यम से बना है। योजना के तहत सभी लाभों का भुगतान इस प्रकार की संचित राशि से किया जाता है। ईपीएस, 1995 के पैरा 32 के तहत यथा अधिदेशित निधि का मूल्यांकन वार्षिक आधार पर किया जाता है और दिनांक 31.03.2019 के निधि के मूल्यांकन की स्थिति के अनुसार, बीमांकिक घाटा हुआ है।

योजना के तहत सदस्य की पेंशन की राशि का निर्धारण सेवा की पेंशन योग्य अवधि और पेंशन योग्य वेतन को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित सूत्र के अनुसार किया जाता है:

$$\frac{\text{पेंशन योग्य सेवा}}{70} \times \text{पेंशन योग्य वेतन}$$

तथापि, सरकार ने पहली बार, वर्ष 2014 में बजटीय सहायता प्रदान करके ईपीएस, 1995 के तहत पेंशनभोगियों को प्रति माह 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन प्रदान की, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को ईपीएस के लिए वार्षिक रूप से प्रदान की जाने वाले वेतन के 1.16% की बजटीय सहायता के अतिरिक्त थी।

****

2027329/2024/PQ CELL

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 732
गुरूवार, 08 फरवरी, 2024/19 माघ, 1945 (शक)

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना

732. श्री आर. धरमारः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) को कार्यान्वित कर रही है, यदि हां, तो तमिलनाडु राज्य में अब तक हुई प्रगति का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) तमिलनाडु राज्य में एबीआरवाई के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ग) एबीआरवाई के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य में अब तक आवंटित, स्वीकृत और जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्या है और देश के युवाओं को रोजगार प्रदान करने में क्या उपलब्धि हासिल हुई है;

(घ) क्या सरकार एबीआरवाई को और अधिक लाभकारी बनाने के लिए पात्रता शर्तों में संशोधन करने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगार के सृजन तथा कोविड-19 महामारी के दौरान समाप्त हुए रोजगारों के पुनः स्थापन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 थी। इस योजना के तहत, दिनांक 31.03.2022 तक पंजीकृत लाभार्थियों को पंजीकरण की तारीख से 2 साल तक लाभ मिलता रहेगा। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के तहत धन का कोई विशिष्ट राज्य-वार आवंटन नहीं है। इस योजना तहत, दिनांक 19.01.2024 तक, देश भर में 60.49 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है। तमिलनाडु राज्य के लिए लाभान्वित प्रतिष्ठानों, लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या और वितरित राशि (करोड़ रुपये में) निम्नानुसार है:

वर्ष	लाभार्थी प्रतिष्ठानों की संख्या	लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या	वितरित राशि (करोड़ रुपये में)
2020-21	6038	170388	38.92
2021-22	9109	568104	469.99
2022-23	1558	77627	541.18
2023-24 (19.01.2024 तक)	56	1935	128.09
योग	16761	818054	1178.18

*****

2027329/2024/PQ CELL

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 753

गुरूवार, 08 फरवरी, 2024/ 19 माघ, 1945 (शक)

औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन

753. **श्री राघव चड्ढा:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अनुसार, विगत पांच वर्षों के दौरान देश में औपचारिक रोजगार सृजन के संबंध में राज्य-वार आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस अवधि के दौरान औपचारिक रोजगार सृजन दर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और इस प्रवृत्ति के लिए जिम्मेदार घटक क्या हैं; और

(घ) सरकार अधिक औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 उन कारखानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जिनमें 20 या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं जो उद्योगों के 197 वर्गों/उद्योगों की अनुसूची में से किसी भी वर्ग में कार्यरत हैं और केवल 15,000/- रुपये तक मासिक ईपीएफ वेतन वाले कर्मचारियों को ही सांविधिक रूप से सदस्यों के रूप में नामांकित किया जाना अपेक्षित है। विगत पांच वर्षों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत पंजीकृत सदस्यों की संख्या निम्नानुसार है: -

क्र. सं.	वर्ष	अंशदायी सदस्य (करोड़ में)
1.	2018-19	4.69
2.	2019-20	5.54
3.	2020-21	5.93
4.	2021-22	6.42
5.	2022-23	6.85

(घ): रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार लाना सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार सृजन के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

जारी.2/-

भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड 19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के अंतर्गत सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है।

कोविड-19 महामारी के दौरान नए रोजगार के सृजन और रोजगार के नुकसान की बहाली के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए 1 अक्टूबर, 2020 से आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) शुरू की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2022 थी। योजना की शुरुआत से लेकर दिनांक 19.01.2024 तक इस योजना के तहत 60.49 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

सरकार 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) को कार्यान्वित कर रही है, ताकि फेरी वालों को अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने के लिए संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान की जा सके, जो कोविड-19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए थे। दिनांक 31.01.2024 की स्थिति के अनुसार, इस योजना के तहत 83.67 लाख ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

स्वरोजगार को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) शुरू की गई। पीएमएमवाई के तहत, सूक्ष्म/लघु व्यवसाय उद्यमों और व्यक्तियों को 10 लाख रुपये तक के संपार्श्विक मुक्त ऋण दिए जाते हैं ताकि वे अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को स्थापित या विस्तारित कर सकें। दिनांक 26.01.2024 तक, इस योजना के अंतर्गत 46.16 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए।

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को सरकार द्वारा 2021-22 से शुरू होने वाले 5 वर्षों की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें 60 लाख नई नौकरियां सृजित करने की क्षमता है।

पीएम गतिशक्ति आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। दृष्टिकोण सात इंजनों द्वारा संचालित है, अर्थात् सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जन परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना। यह दृष्टिकोण स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है, जिससे बड़ी संख्या में नौकरी और सभी के लिए उद्यमशीलता के अवसर उपलब्ध होंगे।

भारत सरकार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) और दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाओं पर रोजगार सृजन के लिए पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है। सरकार ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के माध्यम से उद्यमिता विकास के लिए ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास हेतु एक कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है।

इसके अतिरिक्त, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई) के माध्यम से राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) कार्यान्वित कर रहा है।

इन पहलों के अलावा, सरकार के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रम जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, हाउज़िंग फॉर ऑल आदि भी रोजगार के अवसरों का सृजन करने की दिशा में उन्मुख हैं।

****